UPGK010000202009

माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णीत IN RE TO ISSUE CERTAIN GUIDELINES REGARDING INADEQUACIES AND DEFICIENCIES IN CRIMINAL TRIALS VS STATE OF ANDHRA PRADESH & OTHER 2021(6) SCALE 63 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण के संक्षिप्त विवरण व तत्व निम्नानुसार हैं–

(प्रारूप–क)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, जनपद गोरखपुर। **पीठासीन अधिकारी– नन्द कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)** **J.O.CODE–UP1702** (निर्णय दिनांक 20.03.2026) **सत्र परीक्षण संख्या–296/2009** प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या–570/2008 **धारा–143,504/149,506/149,352/149,336/149,427/149,341/149, 283/149,436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम** थाना–झगहां, जनपद गोरखपुर।	
फरियादी/सूचनाकर्ता	श्री थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	1– श्री बृजेश कुमार सिंह ADGC (Cri) (राज्य)
अभियुक्तगण	**1. राकेश जायसवाल पुत्र हरिश्चन्द,** **2. रामसजन पुत्र पलकधारी पासवान (मृतक/उपशमित),** **3. दिलीप पुत्र रामवृक्ष व** **4. गोबरी पुत्र सीरी,** निवासीगण मोतीराम अड्डा, थाना झगहां, जनपद गोरखपुर।
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	- 1. श्री रामसुमित्र दुबे, अधिवक्ता

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	03.05.2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	03.05.2008
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुती दिनांक	172/2008 दि–15.06.2008
आरोप विरचित करने का दिनांक	27.11.2009
साक्ष्य अनुलेखन आरम्भ करने का दिनांक	10.02.2010
निर्णय घोषित दिनांक	20.03.2026
दण्डादेश यदि कोई हो तो पारित करने का दिनांक	–

(प्रारूप–ग)

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0 डब्लू–1	राकेश सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0 डब्लू–2	थानाध्यक्ष श्री टी०पी० श्रीवास्तव	वादी मुकदमा
पी0 डब्लू–3	हे०का० मो० नन्द कुमार राव	प्राथमिकी साक्षी
पी0 डब्लू–4	थानाध्यक्ष पिपराइच निरीक्षक राधेश्याम राय	विवेचक
पी0 डब्लू–5	का०मो० अनिल कुमार उपाध्याय	कायमी जीडी के साक्षी

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
डी0 डब्लू0–1	मनोज कुमार जैसवाल	साक्षी
डी0 डब्लू0–2	रम्भू प्रसाद	साक्षी

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

क–अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	प्रपत्र सं0
1.	प्रदर्श क–1	सूचना दरख्वास्त/तहरीर	5 क/1
2.	प्रदर्श क–2	तहरीर/फर्द संबंधित घटना	4 क/3 ता 4
3.	प्रदर्श क–3	फर्द बरामदगी संबंधित टूटे शीशे के टुकड़े, 5 अदद चप्पल, 4 अदद जूता व जली राख	8 क/1
4.	प्रदर्श क–4	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	4 क/1 ता 4 क/2
5.	प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी घटनास्थल	9 क/1
6.	प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	3 क/1
7.	प्रदर्श क–7	कायमी जीडी की कार्बन प्रति	7 क/1 ता 7 क/2

ख–बचाव

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

ग–न्यायालय

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	भौतिक वस्तुओं का प्रदर्श	वर्णन
1.	बरामदशुदा सभी संबंधित माल संयुक्त रूप से	वस्तु प्रदर्श 1

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण **राकेश जायसवाल, रामसजन, दिलीप व गोबरी** के विरूद्ध, मु0 अ 0 सं0–570/2008 अन्तर्गत धारा–143, 504, 506, 352, 336, 427, 341, 283, 436 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का विचारण विवेचक थानाध्यक्ष राधेश्याम राय के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर किया गया। **मामला न्यायालय में लंबित 5 प्राचीनतम वादों में से एक है।**

दौरान मुकदमा अभियुक्त रामसजन की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध मुकदमा दिनांक 21.01.2016 को उपशमित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री टी०पी० श्रीवास्तव, थाना झगहां, जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.05.2008 को थाना झगहां, जनपद गोरखपुर पर फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि "दिनांक 03.05.08 को वह थानाध्यक्ष थाना झंगहा, जिला गोरखपुर पर थाना दिवस के उपलक्ष्य में मौजूद थे कि समय 11:10 AM पर का० रामजी सोनकर जो का० श्यामचन्द रत्ना के साथ पिकेट मोतीराम अड्डा पर भेजे गये थे, द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गयी कि रामनाथ, पुत्र बेचू, निवासी मोती राम अड्डा के नेतृत्व में लगभग 30–35 आदमी सड़क जाम कर दिए हैं तथा आवागमन अवरुद्ध हो गया है। समझाने बुझाने पर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव सर्वप्रथम उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु एच०एम० को निर्देश देते हुए हमराही आरक्षी 31 हरिश्चंद्र दूबे, कांस्टेबल 1 ६९ 5 अभिमन्यु यादव, का० 1241 विनोद राय, का० 1145 सुरेश कुशवाहा को एक जरब रायफल व 2०–2० रा० का० एच०एम० दिलवाकर मय एस०आई० एल०पी० शर्मा, एस०आई० राजेश्वर पाठक, भूपेंद्र यादव एस०आई० के साथ मय जीप सरकारी चालक राज नरायण यादव के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर मोती राम अड्डा, पर आया तो देखा कि रामनाथ अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर–देवरिया मुख्य राज्य मार्ग पर आने जाने वाली गाड़ियों का शीशा तोड़ रहे हैं। देवरिया एवं गोरखपुर दोनों तरफ से आवागमन पूर्ण रूप से बन्द है। लगभग दोनों तरफ सभी लोग अपने छोटे व बड़े वाहनों को लेकर खड़े हैं। उसी दौरान का० 1०71 रामजी सोनकर आकर बताये कि जयप्रकाश चौधरी नि० मोतीराम अड्डा की आम की बाग से आम तोड़ने की बात को लेकर पासी टोला के लड़कों द्वारा विवाद हो गया था। इस विवाद में जय प्रकाश चौधरी के पक्ष के रामभवन को चोटें आयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में रामभवनपुत्र सरजू, नि० मोतीराम अड्डा, थाना झगहां ने आज थाना झगहां पर अ०सं० 5६०/०8 धारा 323,5०4,5०6,3०8,394 भा०द०सं० व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग मनोज आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया है। इसी नाराजगी को लेकर रामनाथ पुत्र बेचू के नेतृत्व में जयनाथ पुत्र बन्धू पासी, मनोज पुत्र रामानन्द, अमिताभ पुत्र जोज, वाल्मीकी पुत्र रामनाथ, जोज पुत्र लालचन्द, रमेश पुत्र पड़ोही, शत्रुघन पुत्र बन्धू, चन्द्र गुलाब पुत्र अज्ञात आदि तथा 15–2० व्यक्ति अज्ञात जिन्हें देख कर पहचान सकता हूं। सभी निवासी मोतीराम अड्डा, थाना झगहां, गोरखपुर के हैं। गोरखपुर–देवरियाराष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस बूथ मोतीराम अड्डा के सामने बैठकर सड़क जाम कर दिये, जिससे आवागमन बन्द हो गया है। इस पर मैं अपने हमराहीगण के साथ सड़क पर रामनाथ के पास पहुंच कर जाम समाप्त करने हेतु अनुरोध किया। इसी पर रामनाथ के बगल में बैठे मनोज, जयनाथ, अमिताभ वाल्मीकि जोखू ने ललकार गाली देते हुए कहा कि आज पुलिस बूथ भी फूंक देंगे, साथ ही तुम दोनों को भी फूंक देंगे। यही कहते हुए उठकर अपनी दुकान पर गये। उनके पीछे राकेश, राकेश के पीछे सज्जन पासवान, दिलीप कुमार तथा गोबरी भी गये और तीनों लोग राकेश की दुकान से छोटी–छोटी प्लास्टिक की गैलेन में मिट्टी का तेल लेकर आये, इधर रामनाथ के नेतृत्व में उन लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बूथ को घेर लिया। तब तक मनोज, अमिताभ एवं चन्द गुलाब इन लोगों के हाथ से मिट्टी के तेल के गैलेन लेकर पुलिस बूथ में फेंक दिये। तबतक जोधू, रमेश व शत्रुघ्न ने माचिस जलाकर पुलिस बूथ में आग लगा दी। हमारे मना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि राकेश जायसवाल व रामनाथ व उपरोक्त लोग ईंट–पत्थर हम लोगों के ऊपर चलाते हुए मारने के लिए दौड़ा लिये थे, हम दोनों लोग अपनी जान बचाकर भाग लिये और थाना पर आकर सूचना दिये। इस प्रकार का० रामजी सोनकर की बात सुनने का पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस बूथ मोतीराम अड्डा के सामने देखा कि परिवहन निगम से अनुबंधित मीनी बस सं०–यू०पी० 52 एफ० 25०2 खड़ी थी। जिसपर रामनाथ उनके उपरोक्त समर्थक ईंट पत्थर फेंककर बस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यात्री उसमें से निकल कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सड़क पर आने जाने वालों में अफरा तफरी मच गयी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चौराहे पर सभी दुकानदार अपने अपने दुकान के खिड़की दरवाजे बंद कर लिये हैं। देवरिया गोरखपुर राष्ट्रीय

राजमार्ग पर लगभग दो–दो सौ मीटर की दूरी पर आने जाने वाले सभी छोटे एवं बड़े वाहनों को रोक लिये हैं। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी व दहशत एवं आतंक का माहौल मौके पर व्याप्त हो गया है। लोक व्यवस्था एवं लोक शांति छिन्न भिन्न हो गयी है। मौके पर ईंट पत्थर चला रहे लोगों में से हमराही फोर्स की मदद से रामसजन पासवान, दिलीप कुमार, गोबरी तथा राकेश जायसवाल को दौड़कर घेरकर समय करीब 12.10 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर मानवाधिकार एवं उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसी दौरान थानाध्यक्ष चौरी चौरा, थानाध्यक्ष खोराबार, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण फायर ब्रिगेड पी०ए०सी० वज्र वाहन भारी संख्या मय फोर्स मौके पर आ गयी, जिसके प्रयास से काफी मशक्कत के बाद लोगों में सुरक्षा की भावना प्रदान करते हुए आवागमन प्रारंभ कराया गया। पुलिस बूथ में मौजूदा फर्नीचर एवं सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना में आगजनी एवं तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति की भारी क्षति हुई है। मुताबिक फर्द घटनास्थल से राख टूटे हुए शीशे के टुकड़े, ईंट के टुकड़े आदि कब्जा पुलिस में लिया गया।

3. वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री टी०पी० श्रीवास्तव की उपरोक्त फर्द/तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाना झगहां, जिला गोरखपुर में अभियुक्तगण रामनाथ पुत्र बेचू, जयनाथ पुत्र बंधू पासी, मनोज पुत्र रामानन्द , अमिताभ पुत्र जोखू, बाल्मिकी पुत्र रामनाथ, जोखू पुत्र लालचन्द, रमेश पुत्र पड़ोही, शत्रुघ्न पुत्र बंधू, चन्द्रगुलाब पुत्र अज्ञात, मंजू पुत्र विश्वनाथ, राकेश पुत्र हरिश्चन्द्र जायसवाल,रामसजन पासवान पुत्र पलकधारी,दिलीप पुत्र रामवृक्ष, गोबरी पुत्र सीरी, सागर पुत्र स्वदेशी साकिनान मोतीराम अड्डा तथा अन्य 15–20 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अभियोग मु0 अ 0 सं0–570/2008, अन्तर्गत धारा–143, 504, 506, 352, 336, 427, 341, 283, 436 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम दिनांक 03.05.2008 को समय 14.30 पी0 एम 0 पर पंजीकृत किया गया।

4. उक्त तथ्यों के आधार पर विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में विवेचनात्मक प्रगति करते हुए विवेचनोपरांत अभियुक्तगण राकेश जायसवाल, रामसजन, दिलीप व गोबरी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पुष्टिजनक साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रदर्श क–6, अन्तर्गत धारा 143, 504, 506, 352, 336, 427, 341, 283, 436 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राकेश जायसवाल, रामसजन दिलीप व गोबरी के विरूद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–7, गोरखपुर द्वारा दिनांक 27.11.2009 को अन्तर्गत धारा 143, 504/149, 506/149, 352/149, 336/149, 427/149, 341/149, 283/149, 436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण के द्वारा आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की गयी, जिस पर अभियोजन साक्षियों को आहूत किया गया। अभियोजन की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में **साक्षी पी.डब्लू–1 राकेश सिंह, पी.डब्लू–2 वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री टी०पी० श्रीवास्तव, पी.डब्लू–3 हे0 का0 मो0 नन्द कुमार राव, पी.डब्लू–4 विवेचक राधेश्याम राय व पी.डब्लू–5 का0 मो0 अनिल कुमार उपाध्याय को परीक्षित कराया गया है। अतः विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किए जाने का पृष्ठांकन दिनांक 12.11.2025 आदेश पत्रक पर किया गया है।**

5. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 18.11.2025 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस द्वारा रंजिश से पुलिस की बेगारी न करने पर गलत व फर्जी ढंग से गलत मुकदमा दर्ज किया जाना बताते हुए अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी सं0–1 राकेश सिंह के साक्ष्य के संबंध में उनके द्वारा गलत व फर्जी साक्ष्य के तौर पर कार्यवाही किया जाना बताया गया है। अभियोजन साक्षी सं0–2 के साक्ष्य के संबंध में उनके द्वारा गलत रूप से एवं झूठ तथा संभावना के आधार पर बयान दिया जाना बताते हुए अभियोजन साक्षी सं0–3 के साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि गलत तौर पर

बयान व गवाही दी गयी है। अभियोजन साक्षी सं0–4 के बयान के संबंध में कथन किया गया है कि उनके द्वारा विभागीय लोगों के प्रभाव में गलत व झूठा आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना बताते हुए पी0 डब्लू0 5 के बयान के संबंध में कथन किया गया है कि गलत व झूठा बयान दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त कथन में कथन किया गया है कि मजदूर एवं कमजोर व्यक्ति हैं। पुलिस द्वारा विरोधियों के दबाव में केस का खुलासा करने हेतु गलत एवं फर्जी मुकदमें में घर से पकड़कर उनका झूठा चालान करते हुए फंसाया गया है। उनके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

बचाव पक्ष द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में डी0 डब्लू0–1 मनोज कुमार जैसवाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि

6. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि दिनांक 03.05.2008 को समय करीब 11.00 बजे दिन में, बहद स्थान ग्राम मोतीहारी अड्डा, पुलिस चौकी के सामने, थाना झगहां, गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग, गोरखपुर अंतर्गत थाना झगहां, गोरखपुर आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव व हमराही पुलिस पार्टी को लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दिया तथा उनपर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। आपके द्वारा ऐसा करने से मानव जीवन व वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो गया तथा आपके द्वारा की गयी रिष्टि से पचास रु० से अधिक का नुकसान हुआ तथा आपके इस कृत्य द्वारा आने जाने वाले राहगीरों का सदोष अवरोध हुआ व अनुबंधित मिनी बस व अन्य तमाम छोटे बड़े वाहनों के परिवहन को लोक मार्ग पर रोककर संकट व बाधा उत्पन्न कर क्षति कारित की गयी। आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से पुलिस चौकी मोतीराम अड्डा पर स्थित पुलिस बुथ को नष्ट करने के आशय से गैलन द्वारा मिट्टी का तेल लाकर व उसमें आग लगाकर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की गयी तथा पुलिस बूथ को आग लगाकर फूंकने का प्रयास किया गया व ईंट पत्थर चलाकर दहशत व आतंक का माहौल स्थापित कर दिया गया तथा अनुबंधित मिनी बस को ईंट पत्थर चलाकर तोड़फोड़ किया गया व इसके अलावा तमाम छोटे बड़े वाहनों एवं लोक संपत्तियों की क्षति कारित करके हानि पहुंचाई गई। इस प्रकार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

7. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं साक्ष्य का अनुशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है–

<u>निष्कर्ष</u>

8. **अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 03.05.2008 को समय करीब 11.00 बजे दिन में, बहद स्थान ग्राम मोतीहारी अड्डा, पुलिस चौकी के सामने, थाना झगहां, गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग, गोरखपुर अंतर्गत थाना झगहां, गोरखपुर आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव व हमराही पुलिस पार्टी को लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दिया तथा उनपर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। आपके द्वारा ऐसा करने से मानव जीवन व वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो गया तथा आपके द्वारा की गयी रिष्टि से पचास रु० से अधिक का नुकसान हुआ तथा आपके इस कृत्य द्वारा आने जाने वाले राहगीरों का सदोष अवरोध हुआ व अनुबंधित मिनी बस व अन्य तमाम छोटे बड़े वाहनों के परिवहन को लोक मार्ग पर रोककर संकट व बाधा उत्पन्न कर क्षति कारित की गयी। आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से पुलिस चौकी मोतीराम अड्डा पर स्थित पुलिस बुथ को नष्ट करने के आशय से गैलन द्वारा मिट्टी का तेल लाकर व उसमें आग लगाकर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की गयी तथा पुलिस बूथ को आग लगाकर फूंकने का प्रयास किया गया व ईंट पत्थर चलाकर दहशत व आतंक का माहौल स्थापित कर दिया गया तथा अनुबंधित मिनी बस को ईंट पत्थर चलाकर तोड़फोड़ किया गया व इसके अलावा तमाम छोटे बड़े वाहनों एवं लोक संपत्तियों की क्षति कारित करके हानि पहुंचाई गई।**

9. इस प्रकार अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करना है कि अभियुक्तगण **राकेश जायसवाल, दिलीप व गोबरी** द्वारा अंतर्गत धारा 143, 504, 506, 352/149, 336/149, 427/149, 341/149, 283/149, 436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम भा0 दं0 सं0 का अपराध कारित

किया गया है।

10. विद्वान अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 03.05.2008 को समय करीब 11.00 बजे दिन में, बहद स्थान ग्राम मोतीहारी अड्डा, पुलिस चौकी के सामने, थाना झगहां, गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग, गोरखपुर अंतर्गत थाना झगहां, गोरखपुर आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव व हमराही पुलिस पार्टी को लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दिया तथा उनपर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। आपके द्वारा ऐसा करने से मानव जीवन व वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो गया तथा आपके द्वारा की गयी रिष्टि से पचास रु० से अधिक का नुकसान हुआ तथा आपके इस कृत्य द्वारा आने जाने वाले राहगीरों का सदोष अवरोध हुआ व अनुबंधित मिनी बस व अन्य तमाम छोटे बड़े वाहनों के परिवहन को लोक मार्ग पर रोककर संकट व बाधा उत्पन्न कर क्षति कारित की गयी। आप द्वारा सामान्य उद्देश्य से पुलिस चौकी मोतीराम अड्डा पर स्थित पुलिस बुथ को नष्ट करने के आशय से गैलन द्वारा मिट्टी का तेल लाकर व उसमें आग लगाकर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की गयी तथा पुलिस बूथ को आग लगाकर फूंकने का प्रयास किया गया व ईंट पत्थर चलाकर दहशत व आतंक का माहौल स्थापित कर दिया गया तथा अनुबंधित मिनी बस को ईंट पत्थर चलाकर तोड़फोड़ किया गया व इसके अलावा तमाम छोटे बड़े वाहनों एवं लोक संपत्तियों की क्षति कारित करके हानि पहुंचाई गई। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रुप में **साक्षी पी.डब्लू–1 राकेश सिंह, पी.डब्लू–2 वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री टी०पी० श्रीवास्तव, पी.डब्लू–3 हे0 का0 मो0 नन्द कुमार राव, पी.डब्लू–4 विवेचक राधेश्याम राय व पी.डब्लू–5 का0 मो0 अनिल कुमार उपाध्याय, प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में** सूचना दरख्वास्त **प्रदर्श क–1,** तहरीर/फर्द संबंधित घटना **प्रदर्श क–2,** फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–3,** चिक एफ 0 आई 0 आर 0 **प्रदर्श क–4,** नक्शा नजरी **प्रदर्श क–5,** आरोप पत्र **प्रदर्श क–6 व** कायमी जीडी की कार्बन प्रति **प्रदर्श क–7** व भौतिक बरामदशुदा सभी संबंधित माल संयुक्त रूप से **वस्तु प्रदर्श 1** प्रस्तुत किए गए है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उपरोक्त अभियोजन साक्षियों, दस्तावेजी साक्ष्यों व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर घटना अंतर्गत धारा 143, 504, 506, 352/149, 336/149, 427/149, 341/149, 283/149, 436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम भा0 दं0 सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दंडित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

11. उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि मामले में अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस टीम द्वारा रंजिशन पुलिस की बेगारी न करने पर गलत व फर्जी ढंग से झूठी बरामदगी दिखाते हुए उन्हें उनके घर से उठाकर झूठा चालान किया गया है। मामले में अभियोजन साक्षी सं0–1 राकेश सिंह द्वारा घटना की सूचना थानाध्यक्ष झगहां, गोरखपुर को दिया जाना बताया गया है, जिसमें उनके द्वारा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घटना कारित की जानी बतायी गयी है। उक्त सूचना प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें अभियुक्तगण राकेश जायसवाल, दिलीप व गोबरी का नाम अंकित नहीं है। इस साक्षी द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण उपरोक्त की घटना में संलिप्तता होना नहीं बताया गया है। अभियोजन द्वारा पुलिस पिकेट पर हमला कर आग लगाया जाना बताया गया है, किंतु उक्त आग में जले सामानों की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जबकि घटना एक सार्वजनिक रास्ते पर घटित होनी बतायी गयी है। अभियोजन के सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक को बल देने के लिए न्यायालय में उनके विरुद्ध साक्ष्य दिया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं। विधि का सिद्धांत है कि जहां विरोधाभास होता है, वहां उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाता है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अभियुक्तगण को प्रकरण में मात्र संदेह के आधार पर फंसाया गया है। प्रकरण में कई गम्भीर विवेचनात्मक त्रुटियां हैं। मामले में घटना, घटनास्थल व घटना की तिथि साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

12. अभियोजन पक्ष से अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी **पी.डब्लू0–1 राकेश सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं मिनी बस यू०पी० 53 एम 2502 का स्वामी हूं। मेरी बस उ०प्र० रोडवेज से अनुबंध है, जो देवरिया

डिपो में आता है। अनुबंध देवरिया डिपो ही करता है। **आज से यह घटना हुए करीब पौने दो साल हुआ, 11 बजे दिन का समय था। मेरी उक्त अनुबंधित बस सलेमपुर से गोरखपुर के लिए आ रही थी। मोतीराम अड्डा के पास पहुंची कुछ लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी संख्या 30–40 के करीब थी। मैं बस में पहुंचा तब तक मेरी बस के आगे का, बगल का शीशा व हेडलाइट टूटी पड़ी थी। वहां पर शीशे का टुकड़ा बिखरा पड़ा था। मेरी बस उस समय सवारी लेकर आ रही थी। मेरे जाने के पहले वहां पर से रास्ता जाम करने वाले लोग भाग गए थे।** कुर्सी मेज टूटा था या नहीं, मैंने नहीं देखा। बस का ड्राइवर सर्वेश यादव था, जो मेरी ही गांव का है। उसे चोट नहीं लगी थी। फिर मैंने इस घटना की सूचना स्वयं लिखा तथा उसपर हस्ताक्षर बनाने के बाद दरखास्त थानाध्यक्ष झगहां को दिए। वह दरख्वास्त पत्रावली में संलग्न है, पेज नंबर 5 क/1 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना में सम्मिलित लोगों को मैंने देखा व पहचाना नहीं था।

13. अभियोजन पक्ष से अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी **पी.डब्लू0–2 वादी मुकदमा थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 03.05.08 को मैं थानाध्यक्ष थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के पद पर कार्यरत था। **उस दिन थाना दिवस था, मैं थाने पर मौजूद था। करीब 11:00 बजे दिन में पिकेट के सिपाहियों ने टेलीफोन किया, मोतीराम अड्डा पर रामनाथ के नेतृत्व में लगभग 30–35 आदमी सड़क जाम कर दिए हैं। यातायात प्रभावित हो गया था। थाने से प्रस्थान कर मय फोर्स के मोतीराम अड्डा पहुंचा तो देखा कि दोनों तरफ सड़क जाम है तथा दोनों तरफ देवरिया से भीटी जाम लगा है और जो जाम करने वाले हैं, वह रामनाथ के नेतृत्व में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरोगा लल्लन शर्मा, एस०आई० राजेश्वर पाठक, भूपेंद्र यादव एस०आई०, कांस्टेबल हरिश्चंद्र व कांस्टेबल अभिमन्यु यादव व अन्य लोग फोर्स में थे। मैं जाम करने वाले और तोड़फोड़ करने वाले लोगों को समझने का प्रयास किया, वह लोग नहीं माने।** तभी एक सिपाही आकर बताया कि जयप्रकाश के आम के बाग में से आम तोड़ने की बात को लेकर के कुछ विवाद हो गया था, जिसमें राम शब्द को चोटें आई थीं तथा उसने थाना झगहां पर पंकज आदि के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया था। इसी बात को लेकर रामनाथ के नेतृत्व में यह लोग देवरिया–गोरखपुर मुख्य मार्ग के मोतीराम अड्डा से जाम कर दिए थे, जिसके काफी समझाया–बुझाया गया था। जाम करने वालों में से ही राकेश जयसवाल वगै० मिट्टी का तेल लगाकर पुलिस बूथ मोतीराम अड्डा में आग लगा दिए। गोरखपुर से जाने पर दाहिनी पटरी पर है। राकेश जायसवाल के साथ गोबरी, रामसजन, दिलीप भी इस घटना में थे। दिलीप ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई। यह आग पुलिस बूथ में लगाई गई, जिससे कुर्सी–मेज जलकर राख हो गई। भीड़ में और लोग भी थे, किंतु आग लगाने में यही चार लोग थे। भीड़ में काफी लोग थे। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकान धड़ाधड़ बंद होने लगीं। मौके पर अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। इस घटना की सूचना आसपास के थाना क्षेत्र चौरी चौरा, पिपराइच, खोराबार तथा पुलिस उच्च अधिकारियों सी०ओ० चौरी चौरा तथा पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई। थोड़ी देर में सभी लोग सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंच गए। काफी प्रयास के बाद शांति स्थापित करते हुए आवागमन शुरू कराया गया। **इस आग से पुलिस बूथ में रखे कुर्सी–मेज व अन्य रखा सामान जलकर खाक हो गया। यू०पी० रोडवेज की एक अंडरटेकिंग बस को ईंटा पत्थर चलाकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की फर्द मैंने अपने निर्देशन में बोलकर एस०आई० भूपेंद्र सिंह से लिखवाया। फर्द पढ़कर सुनने के बाद इस पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है।** फर्द पत्रावली में संलग्न है, जो पेपर संख्या 4क/3 व 4क/4 है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उस फर्द के आधार पर अभियुक्तगण राकेश, रामसजन, दिलीप व गोबरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। यह चारों आदमी घटना स्थल से गिरफ्तार हुए शेष अभियुक्तगण रामनाथ, जयनाथ, राकेश, अमिताभ, वाल्मीकि, गोकुल, रमेश, चंद्रभूषण, मंजू, सागर के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया गया। **घटनास्थल से टूटे हुए बस के टुकड़े, 5 अदद चप्पल, 4 अदद जूते तथा जली हुई राख को कब्जा पुलिस में लेकर अपने निर्देशन में एस०आई० भूपेंद्र सिंह से बोलकर फर्द लिखवाई तथा उसके अलग–अलग कपड़ों में रखकर उसकी फर्द मौके पर तैयार की गई। फर्द एस०आई० भूपेंद्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर मेरा भी हस्ताक्षर है तथा साक्षीगण के हस्ताक्षर बनवाए गए।** वह फर्द पेपर

संख्या 8 क है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। फर्द जो झगहां थाने में दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर हेड मो० नंद कुमार राव ने चिक किता किया था, जिस पर बतौर मेरा भी हस्ताक्षर है।

इस साक्षी की न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.08.2025 के अनुपालन में पुनः मुख्य परीक्षा की गयी, जिसपर इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 570/08 से संबंधित फर्द बरामदगी कागज संख्या 8 क/1 **प्रदर्श क–3** से संबंधित माल मुकदमाती माननीय न्यायालय में सील हालत में पेश किया गया, जिसके ऊपर लगा कपड़ा पुराना होने के कारण सड़ गया है व कट गया है। कपड़े पर मुकदमा अपराध संख्या 570/08, धारा लिखा हुआ है। शेष सड़ जाने के कारण पता नहीं चल रहा है। कपड़े के अंदर से दोनों पक्षों की उपस्थिति में पांच अदद चप्पल, चार अदद जूता, जली हुई राख, टूटे हुए शीशे के टुकड़े निकले, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि इन्हें घटनास्थल से ही बरामद किया गया था, जिसे सील मुहर कर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया था। सभी संबंधित माल पर संयुक्त रूप से **वस्तु प्रदर्श 1** डाला गया।

14. अभियोजन पक्ष से अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी **पी.डब्लू0–3 हेड का० मो० नन्द कुमार राव** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 03.05.08 को मैं थाना झगहां गोरखपुर पर बतौर हेड कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उपरोक्त तिथि को मेरी ड्यूटी सुबह 8:00 बजे से लेकर रात के 8:00 तक की थी। **दिनांक 03.05.08 को थाना प्रभारी श्री टी०पी० श्रीवास्तव द्वारा एक तहरीर थाने पर इस आशय की दी गई कि मोतीराम अड्डा पर कुछ लोगों द्वारा जिनका नाम तहरीर में अंकित था, मोतीराम अड्डा चौकी पर तोड़फोड़ किए हैं और सरकारी संपत्ति/पुलिस चौकी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 570/07, धारा 143, 504, 506, 352, 336, 427, 341, 383, 436 आईपीसी और 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना झगहां, जिला गोरखपुर पंजीकृत किया**, जो पत्रावली में कागज संख्या 4 क/1 ता 2 है, जिसके पृष्ठ भाग पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है, की मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। मुकदमा अपराध संख्या–570/08, चिक संख्या 125/08 पर दर्ज किया गया। कायमी मेरे द्वारा नहीं लिखी गई थी।

15. अभियोजन पक्ष से अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी **पी.डब्लू0–4 विवेचक थानाध्यक्ष पिपराइच निरीक्षक राधेश्याम राय** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 04.05.2008 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना पिपराइच में तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या 570/08, अंतर्गत धारा 143, 504, 506, 352, 327, 341, 283, 436 आईपीसी व 3/4 लोग संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग दिनांक 03.05.08 को थाना झगहां पर पंजीकृत हुआ, जिसमें रामनाथ पुत्र बेचू आदि 15 अभियुक्त थे। उक्त अभियोग का पहला पर्चा थाना झगहां से किता किया गया था, जिसमें नकल एफ०आई०आर०, बयान एफ०आई०आर० लेखक, नकल फर्द व अभियुक्त की गिरफ्तारी व अभियुक्त राकेश जायसवाल, अभियुक्त राम सजन पासवान, अभियुक्त दिलीप कुमार व अभियुक्त गोबरी की गिरफ्तारी व उनके बयान अंकित किए गए थे। अभियुक्तों को मा० न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। क्षेत्राधिकार चौरी चौरा महोदय के आदेश के आधार पर इस अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष पिपराइच यानी मुझको प्राप्त हुई। मेरे द्वारा दिनांक 04.05.08 को विवेचना ग्रहण करते हुए पर्चा नंबर 2 किता किया गया। इसमें वादी मुकदमा श्री टी०पी० श्रीवास्तव का बयान गवाह उप निरीक्षक श्री लल्लन प्रसाद शर्मा, उप निरीक्षक श्री राजेश्वर पाठक, कांस्टेबल हरिश्चंद्र दुबे, गवाह कांस्टेबल अभिमन्यु यादव, गवाह कांस्टेबल विनोद राय, गवाह कांस्टेबल रामजी सोनकर, गवाह कांस्टेबल श्याम चरण रत्ना, गवाह उप निरीक्षक श्री भूपेंद्र यादव, गवाह कांस्टेबल सुरेश कुशवाहा, गवाह थानाध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह, थाना चौरी चौरा, गवाह थानाध्यक्ष श्री जे०एल० सरोज, थाना खोराबार का बयान दर्ज किया गया व घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का नक्शा नगरी मेरे द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर तैयार किया गया। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज संख्या 9 क/1 है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि इसे मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में

तैयार किया है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। दिनांक 10.05.08 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा नंबर 3 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तों की तलाश व क्षतिग्रस्त वाहन के स्वामी राकेश सिंह के बयान हेतु उनकी तलाश की गई, नहीं मिले तथा थाना झगहां के हेड मो० नंद कुमार राव का बयान अंकित किया गया। दिनांक 25.05.08 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा नंबर 4 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तों की तलाश किया गया व वाहन स्वामी राकेश सिंह की तलाश किया जो नहीं मिले। पर्चा नंबर 5 दिनांक 04.06.2008 को किता किया गया, जिसमें बयान श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र श्याम बिहारी सिंह, निवासी ग्राम लभकनी, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया जो वाहन मिनी बस यू०पी० 52 एफ 2502 के चालक हैं, का बयान अंकित किया गया। पर्चा नंबर 6 दिनांक 15.06.2008 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्त राकेश जायसवाल, राम सजन पासी, दिलीप व गोबरी के विरुद्ध धारा 143, 504, 506, 352, 336, 427, 283, 436 IPC व 7 सी०एल०ए० एक्ट में व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या 3क/1 है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि इसे मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

16. अभियोजन पक्ष से अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी **पी.डब्लू0–5 का०मो० अनिल कुमार उपाध्याय** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 03.05.2008 को थाना झगहां, जिला गोरखपुर में कां०मो० के पद पर तैनात था। दिनांक 03.05.2008 को समय 14:30 बजे में कार्य लेख पर मौजूद था। मेरे साथ हेड मो० नंदकुमार राव भी कार्य लेख पर मौजूद थे। उनके द्वारा चिक एफ०आई०आर० मुकदमा अपराध संख्या 570/2008 लिखा गया था तथा इस मुकदमे की जीडी कायमी संख्या 29/14.30 बजे मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गई थी। मूल जीडी नियमानुसार 5 वर्ष के बाद विनिष्ट कर दी जाती है। जी०डी० कायमी की कार्बन प्रति शामिल मिसिल कागज संख्या 9क/1 ता 2 है, जिसे साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। इस मुकदमे के वादी मुकदमा श्री टी०पी० श्रीवास्तव थे। विवेचक मुकदमा ने मेरा बयान लिया था।

17. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी **डी0 डब्लू0–1 मनोज कुमार जैसवाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य पृच्छा में सशपथ बयान दिया है कि वह आज न्यायालय मे सफाई साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। साक्षी हमेशा अपने गांव पर मौजूद रहता है तथा दिनांक 03.05.2008 को भी अपने घर पर मौजूद था। उसी दिन समय 11 बजे हल्ला सुनायी दिया, उक्त हल्ले को सुनकर साक्षी चौराहे पर गया तो देखा कि वहां तमाम लोगों की भीड़ एकत्रित थी। उक्त भीड़ में हमने राकेश जैसवाल , दिलीप कुमार व गोबरी को वहां मौजूद नहीं देखा था। यह तीनों लोग उस दिन अपने–अपने घरों पर मौजूद थे। इन लोगों द्वारा न किसी के बस का शीशा तोड़ा गया और न ईटा पत्थर फेका गया ओन न तो इन लोगो द्वारा पुलिस बूथ में आग लगाने के लिये मिट्टी का तेल या कोई प्लास्टिक का गैलन दिया गया न तो लाया गया । भीड़ एकत्रित थी, पुलिस आ गयी थी। पुलिस लोगों को मारपीटकर भगा रही थी और कई लोगों को पकड़ रखी थी। इसके बाद दिलीप, राकेश और गोबरी जो अपने–अपने घर पर काम कर रहे थे, इन लोगों को पकड़कर भी मौके पर लायी थी और गलत और फर्जी मुकदमें में इन लोगों का नाम डाल करके खानापूर्ति की। पकड़े गये लोगों में से जिन लोगों ने पुलिस को पैसा दिया,उन लोगों का नाम मुकदमें से निकाल दिया गया और वे छूट गये। यह गरीब मजदूर आदमी पैसे की मांग पूरा नहीं करने के कारण तथा स्थानीय पुलिस की बेगारी न करने के कारण रंजिश वश मुकदमें में इन लोगों का नाम ला दिया है। दिलीप राकश व गोबरी एक मजदूर किस्म के आदमी है, इनका कभी भी किसी अपराध में न तो संलिप्तता है न तो कोई मुकदमा अंकित हुआ है, इनका कोई गोल गिरोह व पार्टी बंदी से कोई मतलब नहीं है और न तो उपरोक्त तीनों लोग रामनाथ के साथ कभी रहते है, न तो कथित घटना के दिन समय व स्थान पर यह लोग गये थे, न मौजूद थे। ये तीनों लोग रामनाथ के बिरादरी के भी नहीं है, न ही राकेश जैसवाल की कोई दुकान अगल–बगल है, न तो राकेश जैसवाल मिट्टी का तेल बेचन व प्लास्टिक का

डिब्बा बेचने का कम करते हैं, सिर्फ इन लोगों को हैरान व परेशान करने के लिये गलत मुकदमगं में इनके मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर इनक चन्द्र दुश्मनान जो पुलिस के प्रभाव में थे वह साथ में उठते–बैठते थे, उन लोगों के कहने के आधार पर इन लोंगों का नाम इस मुकदमें में फर्जी ढंग से जोड़ दिया गया। यह लोग निहायती सज्ञन और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कभी भी झंगड़ा झंझट में नहीं रहते है, न तो किसी गोल गिरोह में रहते हैं। यह लोग अपना कमाते खाते व परिवार चलाते हैं

18. **डी0 डब्लू0–2 रम्भू प्रसाद** ने अपनी मुख्य पृच्छा में सपथ बयान दिया है कि साक्षी अपना आधार कार्ड व फोटो के साथ न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित आया है। साक्षी ने कथन किया है कि ये लोग अपने गांव पर मौजूद रहते है तथा दिनांक 03.05.2008 को साक्षी अपने घर पर मौजूद था, उस दिन समय 11.00 बजे दिन में कुछ शोर सुनायी दिया तो साक्षी भी उत्सुकतावश बाजार की तरफ गया था, चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर तमाम लोगों की भीड़ एकत्रित थी, उस भीड़ में साक्षी ने वहां पर राकेश जायसवाल, दिलीप कुमार व गोबरी को मौजूद नहीं देखा था, यह तीनों लोग उस दिन अपने–अपने घर पर मौजूदथे, इन लोगों के द्वारा पुलिस बूथ में आग लगाने के लिये मिट्टी का तेल या कोई प्लास्टिक का गैलन व उपकरण नहीं लाया गया था। भीड़ एकत्रित थी, पुलिस आ गयी थी। पुलिस श्लोगों को मारपीट कर भगा रही थी अैर कई लोगों को पकड़ रखी थी, इसके बाद साक्षी ने देखा कि दिलीप राकेश व गोबरी जो अपने–अपने घर पर काम काज में व्यस्त थे, इन लोगों को भी पकड़कर लायी व गलत व फर्जी मुकदमें में लोगों का नाम डालकर खाना पूर्ति ककी। पकड़े गये लोगों में जिन लोगों ने पुलिस को पैसा दिया, वह लोग छूट गये तथा उनका नाम पुलिस ने निकाल दिया । गरीब व मजदूर होने के कारण पैसे की मांग पूरी न होने पर पुलिस ने इन लोगों का नाम मुकदमें मे डाल दिया। दिलीप, राकेश व गोबरी एक मजदूर व गरीब किस्म के आदमी है, इनका कभी भी किसी अपराध में न तो कोई संलिप्तता है, न ही इन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत हुआ है तथा इनका कोई गिरोह व गोल नहीं है , न तो ये लोग रामनाथ के बिरादरी के हैं। राकेश जायसवाल मिट्टी का तेल व प्लास्टिक का डिब्बा बेचने का कार्य करते है , इन लोगों को परेशान करने के लिये मुकदमें में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया है । ये लोग निहायत सज्ञन व प्रतिष्ठत व्यक्ति है, कभी भी झंगड़ा झंझट में नहीं रहते , न तो ये लोग किसी गिरोह से मतलब रखते है,यह लोग कमाते खाते है व परिवार चलाते हैं।

19. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया।

20. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण राकेश जायसवाल, दिलीप, गोबरी द्वारा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर **दिनांक 03.05.2008 को समय करीब 11.00 बजे दिन में, बहद स्थान ग्राम मोतीहारी अड्डा, पुलिस चौकी के सामने, थाना झगहां, गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग, गोरखपुर में सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरुद्ध जमाव बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव व हमराही पुलिस पार्टी को लोक शांति भंग करने के आशय से अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दिया तथा उनपर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के कारण मानव जीवन व वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो गया तथा उनके द्वारा की गयी रिष्टि से पचास रु० से अधिक का नुकसान हुआ तथा अभियुक्तगण द्वारा आने जाने वाले राहगीरों का सदोष अवरोध हुआ व अनुबंधित मिनी बस व अन्य तमाम छोटे बड़े वाहनों के परिवहन को लोक मार्ग पर रोककर संकट व बाधा उत्पन्न कर क्षति कारित की गयी तथा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये पुलिस चौकी मोतीराम अड्डा पर स्थित पुलिस बुथ को नष्ट करने के आशय से गैलन द्वारा मिट्टी का तेल लाकर व उसमें आग लगाकर अग्नि द्वारा रिष्टि कारित की गयी तथा पुलिस बूथ को आग लगाकर फूंकने का प्रयास किया गया व ईंट पत्थर चलाकर दहशत व आतंक का माहौल स्थापित कर दिया गया तथा अनुबंधित मिनी बस को ईंट पत्थर चलाकर तोड़फोड़ किया गया है। अतः उन्हें प्रश्नगत प्रकरण में दोष सिद्ध किया जाय।**

21. उपरोक्त तर्क के खंडन में बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित करते हुये देखा गया है। जबकि कथित घटना वाले दिन अभियोजन द्वारा **मोतीहारी अड्डा, पुलिस चौकी के सामने, थाना झगहां, गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय राजमार्ग, गोरखपुर** पर 30-40 व्यक्तियों की संख्या बतायी गयी है, उक्त आगजनी व अनुबंधित मिनी बस पर ईट पत्थर चलाकर किसके द्वारा रिष्टि कारित किया गया है, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नही है। अभियुक्तगण मजदूर हैं तथा उन्हें पुलिस की बेगारी न किये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में उन्हें अभियुक्त बना दिया गया हैं। अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित थे, उन्हें बेगारी न किये जाने की रंजिश एवं संदेह के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है, अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाय।

22. विधि व्यवस्था कालेगुरा पद्मा राव बनाम आंध प्रदेश राज्य ए0 आई0 आर0 2007 सुप्रीम कोर्ट 1299 एवं योगेन्द्र उर्फ योगेश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2014) 1 एस0 सी0 सी0 (क्रिमिनल) सु0 को0 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि साक्ष्य के आधार पर भूसे से अनाज को अलग करे, सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिये, केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही जब भूसे से अनाज निकाला जाना संभव ही न हो सके, तभी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना चाहिये, अतः अभियोजन साक्षियों की गुणवत्ता उपरोक्त् विधिक सिद्धान्तों के आलोक में निर्धारित की जायेगी।

23. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण वादी मुकदमा पी0 डब्लू0 2 थानाध्यक्ष टी0 पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द दिनांकित 03.05.2008 के आधार पर दिनांक 03.05.2008 को समय 14.30 पी0 एम 0 पर सम्बंधित थाना पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। फर्द प्रदर्श क-2 क अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष टी0 पी0 श्रीवास्तव थाना झंगहा समय 11.00 बजे उपस्थित थे तथा उन्हें का० रामजी सोनकर जो का० श्यामचन्द रत्ना के साथ पिकेट मोतीराम अड्डा पर भेजे गये थे, द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गयी कि रामनाथ, पुत्र बेचू, निवासी मोती राम अड्डा के नेतृत्व में लगभग 30–35 आदमी सड़क जाम कर दिए हैं तथा आवागमन अवरुद्ध हो गया है। समझाने बुझाने पर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष टी०पी० श्रीवास्तव सर्वप्रथम उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु एच०एम० को निर्देश देते हुए फर्द के हमराहियों के साथ मौके पर पहुचें है तथा देखा कि रामनाथ अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर–देवरिया मुख्य राज्य मार्ग पर आने जाने वाली गाड़ियों का शीशा तोड़ रहे हैं। देवरिया एवं गोरखपुर दोनों तरफ से आवागमन पूर्ण रूप से बन्द है। लगभग दोनों तरफ सभी लोग अपने छोटे व बड़े वाहनों को लेकर खड़े हैं। उसी दौरान का० 1०71 रामजी सोनकर आकर बताये कि जयप्रकाश चौधरी नि० मोतीराम अड्डा की आम की बाग से आम तोड़ने की बात को लेकर पासी टोला के लड़कों द्वारा विवाद हो गया था। इस विवाद में जय प्रकाश चौधरी के पक्ष के रामभवन को चोटें आयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में रामभवनपुत्र सरजू, नि० मोतीराम अड्डा, थाना झगहां ने आज थाना झगहां पर अ०सं० 5६०/०8 धारा 323,5०4,5०6,3०8,394 भा०द०ं०सं० व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग मनोज आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया है। इसी नाराजगी को लेकर रामनाथ पुत्र बेचू के नेतृत्व में जयनाथ पुत्र बन्धू पासी, मनोज पुत्र रामानन्द, अमिताभ पुत्र जोज, वाल्मीकी पुत्र रामनाथ, जोज पुत्र लालचन्द, रमेश पुत्र पड़ोही, शत्रुघन पुत्र बन्धू, चन्द्र गुलाब पुत्र अज्ञात आदि तथा 15–2० व्यक्ति अज्ञात जिन्हें देख कर पहचान सकता हूं। सभी निवासी मोतीराम अड्डा, थाना झगहां, गोरखपुर के हैं। गोरखपुर–देवरियाराष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस बूथ मोतीराम अड्डा के सामने बैठकर सड़क जाम कर दिये, जिससे आवागमन बन्द हो गया है। इस पर मैं अपने हमराहीगण के साथ सड़क पर रामनाथ के पास पहुंच कर जाम समाप्त करने हेतु अनुरोध किया। इसी पर रामनाथ के बगल में बैठे मनोज, जयनाथ, अमिताभ वाल्मीकि जोखू ने ललकार गाली देते हुए कहा कि आज पुलिस बूथ भी फूंक देंगे, साथ ही तुम दोनों को भी फूंक देंगे। यही कहते हुए उठकर अपनी दुकान पर गये। उनके पीछे राकेश, राकेश के पीछे

सज्ञन पासवान, दिलीप कुमार तथा गोबरी भी गये और तीनों लोग राकेश की दुकान से छोटी–छोटी प्लास्टिक की गैलेन में मिट्टी का तेल लेकर आये, इधर रामनाथ के नेतृत्व में उन लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बूथ को घेर लिया। तब तक मनोज, अमिताभ एवं चन्द गुलाब इन लोगों के हाथ से मिट्टी के तेल के गैलेन लेकर पुलिस बूथ में फेंक दिये। तबतक जोधू, रमेश व शत्रुघ्न ने माचिस जलाकर पुलिस बूथ में आग लगा दी। हमारे मना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि राकेश जायसवाल व रामनाथ व उपरोक्त लोग ईंट–पत्थर हम लोगों के ऊपर चलाते हुए मारने के लिए दौड़ा लिये थे, हम दोनों लोग अपनी जान बचाकर भाग लिये और थाना पर आकर सूचना दिये। इस प्रकार का० रामजी सोनकर की बात सुनने का पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस बूथ मोतीराम अड्डा के सामने देखा कि परिवहन निगम से अनुबंधित मीनी बस सं०–यू०पी० 52 एफ० 25 ० 2 खड़ी थी। जिसपर रामनाथ उनके उपरोक्त समर्थक ईंट पत्थर फेंककर बस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यात्री उसमें से निकल कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सड़क पर आने जाने वालों में अफरा तफरी मच गयी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चौराहे पर सभी दुकानदार अपने अपने दुकान के खिड़की दरवाजे बंद कर लिये हैं। देवरिया गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग दो–दो सौ मीटर की दूरी पर आने जाने वाले सभी छोटे एवं बड़े वाहनों को रोक लिये हैं। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी व दहशत एवं आतंक का माहौल मौके पर व्याप्त हो गया है। लोक व्यवस्था एवं लोक शांति छिन्न भिन्न हो गयी है। मौके पर ईंट पत्थर चला रहे लोगों में से हमराही फोर्स की मदद से रामसजन पासवान, दिलीप कुमार, गोबरी तथा राकेश जायसवाल को दौड़कर घेरकर समय करीब 12.10 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर मानवाधिकार एवं उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

24. वादी मुकदमा द्वारा जैसा कि फर्द में कथन किया गया है कि उनके द्वारा रामनाथ व उनके समर्थकों द्वारा प्रश्नगत घटना कारित करते हुये देखा गया है, जिसके आधार पर उन्होंने सम्बंधित थाने पर रामनाथ पुत्र बेचू, जयनाथ पुत्र बंधू पासी, मनोज पुत्र रामानन्द , अमिताभ पुत्र जोखू, बाल्मिकी पुत्र रामनाथ, जोखू पुत्र लालचन्द, रमेश पुत्र पड़ोही, शत्रुघ्न पुत्र बंधू, चन्द्रगुलाब पुत्र अज्ञात, मंजू पुत्र विश्वनाथ, राकेश पुत्र हरिश्चन्द्र जायसवाल,रामसजन पासवान पुत्र पलकधारी,दिलीप पुत्र रामवृक्ष, गोबरी पुत्र सीरी, सागर पुत्र स्वदेशी साकिनान मोतीराम अड्डा तथा अन्य 15–20 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अभियोग मु0 अ 0 सं0–570/2008, अन्तर्गत धारा–143, 504, 506, 352, 336, 427, 341, 283, 436 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम दिनांक 03.05.2008 को समय 14.30 पी0 एम 0 पर पंजीकृत कराया गया है, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में विवेचनोपरान्त मात्र अभियुक्तगण राकेश जायसवाल, रामसजन, दिलीप व गोबरी उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है।

25. अभियोजन साक्षी संख्या– 1 राकेश सिंह ने अपने मिनी बस संख्या– यू0 पी0 52 एफ 2502 जो देवरिया डिपों में अनुबंधित है जो तथाकथित घटना दिनांक 03.05.2008 को सलेमपुर से गोरखपुर के लिये आ रही थी अज्ञात लोगों द्वारा बस को क्षतिग्रस्त किये जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था जो पत्रावली पर प्रदर्श क–1 के रूप में उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 राकेश सिंह ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उनके मिनी बस को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 1 पक्षद्रोही साक्षी है तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से जिरह की गयी है, जिसमें साक्षी को धारा– 161 दं0 प्र 0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उससे साक्षी ने इन्कार किया है तथा कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। बचावपक्ष द्वारा साक्षी से जिरह की गयी है, जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि घटना की सूचना साक्षी को गौरा बाजार में मिली थी, उसे समय याद नहीं है। सूचना पाने के एक घंटे के बाद वह वहां पर पहुंचा था। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि उसने उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित करते हुये नहीं देखा है।

26. अभियोजन साक्षी संख्या– 2 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक तेजप्रकाश श्रीवास्तव ने अपने जिरह में कथन किया है कि झंगहा थाने क्षेत्र के अंदर मात्र एक पुलिस चौकी मोतीराम अड्डा है। घटना वाले दिन पिकेट में जिन दो सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी, उनका नाम याद नहीं है। पिकेट सिपाहियों की रवानगी कब हुयी थी, उन्हें याद नहीं है। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि प्रश्नगत घटना की सूचना पिकेट के सिपाहियों द्वारा दी गयी थी, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी थी, जबकि खुद वादी मुकदमा को स्वयं के पिकेट के सिपाहियों का नाम याद नहीं है।

27. अभियोजन साक्षी संख्या–3 उपनिरीक्षक नन्द कुमार राव जो दिनांक 03.05.2008 को थाना झंगहा में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात थे, उनके द्वारा वादी मुकदमा थाना प्रभारी टी0 पी0 श्रीवास्तव के फर्द के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गयी। उक्त साक्षी ने अपने जिरह में यह कथन किया है कि जो तहरीर उसे टी0 पी0 श्रीवास्तव ने दिया था, वह कहां से लिखकर लाये थे, यह उसे मालूम नहीं है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तहरीर के अलावा उसे टी0 पी0 श्रीवास्तव के द्वारा कोई अन्य वस्तु नहीं दी गयी थी। साक्षी ने इस तथ्य को अपने जिरह में स्वीकार किया है कि टी0 पी0 श्रीवास्तव के लिखित तहरीर देने के पहले कथित घटना के सम्बन्ध में न तो कोई टेलीफोनिक मैसेज आया था, न तो कोई मौखिक सूचना दी गयी थी। घटना के समय टी0 पी0 श्रीवास्तव क्षेत्र में मौजूद थे। जबकि वादी मुकदमा टी0 पी0 श्रीवास्तव द्वारा कथन किया गया है कि पिकेट के सिपाहियों द्वारा उन्हें टेलीफोन द्वारा सूचना दी गयी, जिसके उपरान्त वह घटना स्थल पर पहुंचे।

वादी मुकदमा ने न तो फर्द में न ही अपने साक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि जब पूलिस बूथ को उपद्रियों द्वारा जलाया गया तो उनके द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था। यदि किसी जगह आगजनी होती है तो सर्वप्रथम यह दायित्व था कि प्रथमतः फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया जाता है, परन्तु वादी मुकदमा द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 30–40 उपद्रिवों द्वारा घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में रामनाथ व उनके समर्थकों का नाम अंकित किया गया है, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह साबित हो सके कि रामनाथ व उनके समर्थकों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी थी तथा वह प्रश्नगत प्रकरण में किस प्रकार संलिप्त थे, मात्र अभियुक्तगण के सम्बन्ध में विवेचना करके आरोप– पत्र प्रेषित किया गया है जिससे तथाकथित घटना पर संदेह उत्पन्न होता है।

28. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 के तहत जिन फर्द के साक्षीगण का बयान अंकित किया गया है, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उसका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होना चाहिये। दौरान बहस **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था रोहिताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2013 (82) ए 0 सी0 सी0401 सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सरनाम एवं अन्य बनाम उ 0 प्र 0 राज्य 2020 (110) एस 0 सी0 सी0 335 इलाहाबा**द का उल्लेख किया गया। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

28. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **परमजीत सिंह उर्फ पम्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य, ए 0 आई 0 आर 0 2013 एस 0 सी0 200**, में यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्त पर जिस अपराध का आरोप है, उसके सभी संघटकों को संदेह से परे साबित करने का भार, अभियोजन पर है तथा अत्यधिक गम्भीर अपराध में अत्यधिक यथार्थ/वास्तविक साक्ष्य की विधिक अपेक्षा है। ऐसे ही विधि व्यवस्था **नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम 482** में मा0 न्यायालय द्वारा यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि किसी अभियुक्त को तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाती।

30. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **राकेश जायसवाल, दिलीप व गोबरी** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–143, 504/149, 506/149, 352/149, 336/149, 427/149, 341/149, 283/149, 436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **राकेश जायसवाल, दिलीप व गोबरी** को सत्र परीक्षण संख्या–296/2009, अन्तर्गत धारा– **143, 504/149, 506/149, 352/149, 336/149, 427/149, 341/149, 283/149, 436/149 भा०दं०सं०, 7 सी०एल०ए० एक्ट व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम** थाना झगहां, जिला गोरखपुर के मामले में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण **राकेश जायसवाल, दिलीप व गोबरी** जमानत पर है। उनके जमानत नामें व बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

मियाद अपील अवधि तक के लिये प्रत्येक अभियुक्त द्वारा धारा 437 दं0 प्र 0 सं0 के अनुपालन में मु0 20,000/–रूपये की एक–एक सक्षम प्रतिभू अंदर सप्ताह दाखिल किया जाय।

दिनांक 20.03.2026

(नन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4,
गोरखपुर।
J.O.CODE UP1702

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 20.03.2026

(नन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4,
गोरखपुर।
J.O.CODE UP1702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.03.20 17:42:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court